प्रस्ताव पर ऐतिहासिक सहमति

कुल 140 देशों में से 136 देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन कर दिया है। समझौते के लिए बातचीत की अगुआई कर रहे संगठन ओईसीडी (ऑर्गनाइजेशन फॉर इकॉनमिक कॉ–ऑपरेशन एंड डिवेलपमेंट) के मुताबिक यह समझौता वैश्विक अर्थव्यवस्था का 90 फीसदी हिस्सा कवर कर लेगा।

आरती सिंह।।

आखिर 15 फीसदी ग्लोबल मिनिमम कॉरपोरेट टैक्स वसूले जाने के प्रस्ताव पर ऐतिहासिक सहमति हो गई। आयरलैंड, एस्टोनिया और हंगरी– इन तीनों लो टैक्स देशों को इस प्रस्ताव पर आपत्ति थी। गहन बातचीत में कई तरह की रियायतें और अपवाद सुनिश्चित करने के बाद तीनों देश मान गए और इस प्रस्ताव का अमल में आना लगभग तय हो गया। कुल 140 देशों में से 136 देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन कर दिया है। समझौते के लिए बातचीत की अगुआई कर रहे संगठन ओईसीडी (ऑर्गनाइजेशन फॉर इकॉनमिक कॉ–ऑपरेशन एंड डिवेलपमेंट) के मुताबिक यह समझौता वैश्विक अर्थव्यवस्था का 90 फीसदी हिस्सा कवर कर लेगा। इस समझौते की अहमियत इस बात में है कि इससे पिछले 40 वर्षों से विभिन्न देशों के बीच जारी टैक्स कम करके निवेशकों और मल्टिनैशनल कंपनियों को लुभाने की होड़ कम करने में मदद मिलेगी। अभी तमाम बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपना मुख्यालय उन देशों में रखती हैं जहां टैक्स सबसे कम होता है। नतीजा यह कि ये कारोबार चाहे जिस देश में भी करें इनके प्रॉफिट का बड़ा हिस्सा उन देशों में शिफ्ट हो जाता है जहां इनका मुख्यालय है। इससे इन कंपनियों तथा उन लो टैक्स देशों का तो फायदा होता है लेकिन बाकी तमाम देशों को नुकसान होता है। इस स्थिति में बदलाव की जरूरत काफी समय से महसूस की जा रही थी। इस पर बातचीत भी चल रही थी। कोरोना महामारी के चलते बातचीत को वर्चुअल मोड में लाना पड़ा, लेकिन यही कोरोना इस समझौते तक पहुंचने में मददगार भी हुआ। इस दौरान लॉकडाउन के कारण सभी देश बजट पर जबर्दस्त दबाव महसूस कर रहे थे। लिहाजा सबकी कोशिश थी कि इस समझौते पर जल्द से जल्द सहमति हो जाए।

ओईसीडी का अनुमान है कि समझौता लागू हो जाने के बाद सालाना 15000 करोड़ डॉलर (करीब 11,27,000 करोड़ रुपये) का अतिरिक्त राजस्व आएगा। यही नहीं, 12500 करोड़ डॉलर (करीब 940,000 करोड़ रुपये) प्रॉफिट पर टैक्स लगाने का अधिकार उन देशों को शिफ्ट हो जाएगा जहां ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां कमाई करती हैं।

निश्चित रूप से ये रकम बड़ी है। फिर भी ऐसा नहीं है कि इस समझौते से हर कोई संतुष्ट ही है। कहा जा रहा है कि कमजोर और विकासशील देशों के हित सुरक्षित रखने के लिए और कदम उठाने होंगे। यह भी कहा जा रहा है कि 15 फीसदी रेट बहुत कम है और इससे टैक्स हेवन समाप्त नहीं होंगे। बहरहाल, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि यह समझौता सही दिशा में एक ठोस शुरुआत है। अब पहली जरूरत यह सुनिश्चित करने की है कि 13 अक्टूबर से शुरू हो रहे जी–20 देशों के वित्त मंत्रियों की बैठक से और फिर महीने के अंत में रोम में होने वाले जी–20 शिखर सम्मेलन से स्वीकृति मिलने के बाद अगले साल तक तमाम देश अपने यहां कानून में आवश्यक बदलाव कर लें ताकि 2023 से यह समझौता लागू करने का लक्ष्य पूरा हो सके।

बुरा नहीं सोचना

अशोक वोहरा।

धर्म-दर्शन

खाना खाने के बाद वह थैला उठाकर चलने लगा कि तभी फिर महात्मा का उपदेश याद आया, 'जिसका नमक खाओ, उसका बुरा मत सोचो।' उसने अपने मन में कहा, 'खाना खाया उसमें नमक भी था। इसका बुरा नहीं सोचना चाहिए।' इतना सोचकर, थैला वहीं रख वह वापस चल पड़ा। पहरेदार ने फिर पूछा, "क्या हुआ, चोरी क्यों नहीं की?" "देखिए जिसका नमक खाया है, उसका बुरा नहीं सोचना चाहिए। मैंने राजा का नमक खाया है, इसलिए चोरी का माल नहीं लाया। वहीं रसोई घर में छोड़ आया।" इतना कहकर वह वहां से चल पड़ा। उधर रसोइए ने शोर मचाया, "पकड़ो, पकड़ों चोर भागा जा रहा है।" पहरेदार ने चोर को पकड़कर दरबार में उपस्थित किया। राजा के पूछने पर उसने बताया कि एक महात्मा के द्वारा दिए गए उपदेश के मुताबिक मैंने पहरेदार के पूछने पर अपने को चोर बताया क्योंकि मैं चोरी करने आया था।

संपादकीय

भविष्य के सबक

सच यह भी है कि सरकार चाहती तो आंदोलन पहले ही खत्म हो चुका होता। पता नहीं किस सोच के तहत इसे बड़ा बनने दिया गया। आज विपक्ष में कई ऐसी पार्टियां हैं, जो पहले इन्हीं कृषि कानूनों की हिमायती रही हैं। यह मामला उन लोगों के लिए भी सबक है, जो समस्याओं के निपटारे के लिए साहसी कदमों के समर्थक हैं। इन कानूनों को वापस लेने के गैर–राजनीतिक कारण भी हैं। केंद्र के पास पुख्ता रिपोर्ट है और कैप्टन अमरिंदर ने भी गृह मंत्री से मुलाकात में कहा था कि किस तरह से खालिस्तानी तत्व किसान आंदोलन के कारण सक्रिय हुए थे। उन्हें पाकिस्तान से समर्थन मिल रहा था। लोकतंत्र का आदर्श सिद्धांत कहता है कि कदम चाहे जितना उचित हो, अगर उसके सीमित विरोध से देश का माहौल प्रभावित हो रहा हो तो उसे वापस लेना चाहिए। भविष्य में उसके लिए फिर से कोशिश हो सकती है। इसे आप रणनीति भी कह सकते हैं और लोकतांत्रिक मूल्यों पर अमल भी। यह बात भी सही है कि सरकार के कदम से इन कानूनों के समर्थकों को धक्का लगा है। मोदी ने अपने संबोधन में कहा भी कि वह देश से माफी मांगते हैं क्योंकि कुछ किसानों को कानून की अच्छाइयां समझा नहीं सके। सच है कि आंदोलन में ऐसे तत्व हावी हो गए थे, जिनका एजेंडा अलग था। अगर ये लोग लंबे धरने के विरुद्ध सड़कों पर उतरते तो सरकार के सामने कृषि कानूनों को बनाए रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। ऐसे लोगों को भविष्य की तैयारी करनी चाहिए ताकि किसी अच्छे कदम को वापस लेने की नौबत न आए।

आखिर जिन कानूनों पर सरकार एक साल से अड़ी हुई थी, उन्हें वापस लिए जाने पर सवाल तो उठेगा ही कि यह निर्णय क्यों लिया गया? अब इस फैसले के राजनीतिक मायनों को लेकर सबसे अधिक चर्चा हो रही है।

बढ़ती मुश्किलें

अवधेश कुमार।।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब राष्ट्र के नाम संबोधन शुरू किया तो शायद ही किसी ने कल्पना की होगी कि वह तीनों कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा करेंगे। आखिर जिन कानूनों पर सरकार एक साल से अड़ी हुई थी, उन्हें वापस लिए जाने पर सवाल तो उठेगा ही कि यह निर्णय क्यों लिया गया? अब इस फैसले के राजनीतिक मायनों को लेकर सबसे अधिक चर्चा हो रही है और आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए यह स्वाभाविक भी है।

क्या इस पूरे मामले का यही सच है? सच पूछिए तो देश के बहुसंख्य किसान इन कानूनों के पक्ष में थे। दिल्ली की सीमाओं पर कभी इतनी भीड़ जमा नहीं हुई, जिससे इसे देशव्यापी मुद्दा माना जाता। सुप्रीम कोर्ट ने इन कानूनों पर रोक लगा ही रखी थी। स्वयं प्रधानमंत्री मोदी और उनके रणनीतिकारों को भी पता था कि इन्हें वापस लिया गया तो विपक्ष उनका उपहास करेगा। फिर सरकार ने ऐसा क्यों किया? यह बात सही नहीं लगती कि उत्तर प्रदेश चुनाव को देखते हुए यह फैसला लिया गया। इसके संकेत बीजेपी के आंतरिक सर्वेक्षणों से मिलते हैं। उनसे पता चला कि राज्य में कृषि कानूनों का व्यापक विरोध नहीं है। हां, पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में जरूर थोड़ा–बहुत विरोध था, लेकिन

उससे चुनाव परिणाम पर बहुत ज्यादा असर नहीं होता। उत्तराखंड के तराई इलाके और हरियाणा में भी इन कानूनों के कारण बीजेपी के लिए थोड़ी समस्या पैदा हो रही थी। हरियाणा में गठबंधन सरकार के साथी जेजेपी को भी समस्या थी, लेकिन यह भी साफ था कि अगर उसके गठबंधन तोड़ने से सरकार गिरती तो जेजेपी को आगामी चुनाव में सफलता मिलने की गारंटी नहीं थी।

इस मुद्दे से कैप्टन अमरिंदर सिंह और गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात भी जुड़ी है। इसमें आंतरिक सुरक्षा के साथ पंजाब की राजनीति पर चर्चा हुई थी। कैप्टन ने कहा कि अगर बीजेपी कृषि कानूनों को वापस ले लेती है तो वह उसके साथ गठबंधन कर सकते हैं। इन्हीं कानूनों को लेकर बीजेपी का अकाली दल से गठबंधन टूटा था। प्रधानमंत्री ने स्वयं अकाली दल की जिस ढंग से तीखी आलोचना की, उसके बाद पंजाब में बीजेपी के लोगों को लगा कि अब हमारी पार्टी यहां स्वतंत्र रूप से खड़ी हो सकती है। राज्य में बीजेपी नेताओं–कार्यकर्ताओं की लंबे समय से यह शिकायत थी कि अकाली उन्हें काम नहीं करने देते और यह गठबंधन पार्टी के लिए हमेशा नुकसानदायक रहा है। यहां तक कि नवजोत सिंह सिद्धू के बीजेपी छोड़ने का एक बड़ा कारण अकाली दल से नाराजगी थी। पार्टी ने कृषि कानूनों पर राज्य से फीडबैक लिया और अंतिम फैसले पर पहुंची।

अब अमरिंदर की नई पार्टी लोक कांग्रेस और बीजेपी में गठबंधन हो सकता है। इससे अकाली दल, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तीनों के लिए चुनौती खड़ी होगी। कैप्टन की पार्टी यों तो नई है, लेकिन कई क्षेत्रों में उसका व्यापक जनाधार है। कैप्टन के समर्थन में कांग्रेस के काफी नेता भी आ सकते हैं। वहीं, पंजाब कांग्रेस में इतनी अंदरूनी कलह है कि उसकी सत्ता में वापसी को लेकर कोई नेता आश्वस्त नहीं है। कृषि कानूनों को वापस लेकर बीजेपी सरकार ने पश्चिम उत्तर प्रदेश में संभावित चुनावी नुकसान को भी रोका है और इससे हरियाणा की सियासत भी बदलेगी। 2024 आम चुनावों पर भी इसका असर पड़ सकता है।

अष्टयोग-4996

	6	2			7	5
	25		26	5	40	
4	5	1			2	
	37	6	35		27	3
	3			4	1	
5	33	4	42		26	
2			6	3		4

प्रस्तुत खेल सुडोकू व जोड़ की पद्धति का मिश्रण है. खड़ी व आड़ी पंक्तियों में 1से 7 तक के अंक लिखने अनिवार्य हैं. गहरे काले वर्ग में लिखी संख्या चारों और के 8 वर्गों की संख्या का कुल योग होगी. सीधी अथवा आड़ी पंक्तियों में 1 से 7 तक के अंक होना अनिवार्य है.

अष्टयोग 4995 का हल

6	3	1	5	2	7	4
2	30	4	30	6	30	1
5	2	7	4	1	6	3
3	32	6	39	7	31	2
1	5	3	7	4	2	6
4	31	5	35	5	33	7
7	4	2	6	3	1	5

Jagrutidaur.com, Bangalore

अपना ब्लॉग

सरकार का कानूनों को वापस लेना मास्टरस्ट्रोक

मोहन। कृषि कानून यों तो पिछले चुनावों में बड़ा मुद्दा नहीं थे, लेकिन इसी आधार पर विरोधियों ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी के खिलाफ प्रचार किया। ऐसे कई समूह अगर जुट जाएं तो कई क्षेत्रों में बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते थे। यह बात विधानसभा और लोकसभा चुनाव दोनों पर लागू होती है। इस लिहाज से सरकार का इन कानूनों को वापस लेना मास्टरस्ट्रोक माना जा रहा है। देखा जाए तो विपक्ष ने कृषि कानूनों को लेकर सरकार को घेरने की योजना बनाई थी। अब यह मुद्दा उसके हाथ से निकल गया है। राकेश टिकैत ने कहा है कि वह संसद में कानून रद्द होने प्रतीक्षा करेंगे, लेकिन उनके समर्थन में ऐसा वर्ग भी था, जो इस सीमा तक आंदोलन को खींचने के पक्ष में नहीं है। इसलिए अगर वह एमएसपी को लेकर आंदोलन को खींचने की कोशिश करते हैं तो उनका बचा–खुचा समर्थन कम होगा। प्रधानमंत्री ने पहले ही एमएसपी समिति की घोषणा कर दी है। इससे सरकार को समर्थन मिलेगा और विरोधियों का आधार कमजोर होगा।